न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
01/2020	09/01/2020	19/01/2026

नंदबिहारी पुत्र श्री हजारीलाल उम्र 45 वर्ष जाति धाकड़ निवासी शोभागपुरा तहसील पीपल्दा कला जिला कोटा (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1.लक्ष्मीचंद्रपुत्र श्री हजारीलाल जाति धाकड़ निवासी शोभागपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार,पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री गिरिराज कुशवाहा एड0।
अप्रार्थी कम 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री प्रद्युम्न शर्मा एड0।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शोभागपुरा तहसील पीपल्दा कला जिला कोटा राजस्थान में प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 387 रकबा 1.18 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का मकान भी बना हुआ है। अप्रार्थी क्रम 1 लक्ष्मीचंद, प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि में जबरदस्ती ताकत के बल पर अवैध निर्माण करके प्रार्थी का रास्ता रोकने पर आमादा है जबकि प्रार्थी के आस पास अप्रार्थी क्रम 1 की कोई भूमि स्थित नहीं है लेकिन फिर भी अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि में अवैध निर्माण करना चाहता है जिसे रोका जाना आवश्यक है दिनांक 05/01/2020 को अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थी को धमकी दी और यह कहा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते में निर्माण करके ही रहूंगा, अप्रार्थी क्रम 1 निर्माण व लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थी और अप्रार्थी क्रम 1 के विरुद्ध पर अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्रि प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया कैस है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि अपराधी क्रम 1 खसरा नंबर 387 रकबा 1.18 हेक्टेयर वाके ग्राम शोभागपूरा में निर्माण करने में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को अपूर्ण क्षति होगी जिस भी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है इस कारण प्रार्थी और प्रार्थी कम एक के विरुद्ध का फैसला मूलवाद का अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद जारी की जावे कि वाके ग्राम शोभागपुरा तह0 पीपल्दा कलां जि0 कोटा में आराजी ख0नं00 387 रकबा 1.18है0 कृषि भूमि में, अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि अप्रार्थी कम 1 ख0नं0 387 रकबा 1.18है0 वाके ग्राम शोभागपुरा में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। ऐसा कार्य न ही स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री गिरिराज कुशवाहा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 की ओर से प्रद्युम्न शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी कम 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया किया कि हजारीलाल पुत्र देवलाल जाति धाकड के कुल जोत 5.74है0 शोभागपुरा हल्का एवं ख0नं0(पुराना) 188 नया 1475 रकबा 0.40है0, ख0नं0 190 रकबा 0.05हे0, करवाड हल्का में व ख0नं0 189, ख0नं0 0.68है0 करवाड हल्का में निहित थी। उक्त कृषि आराजी में पारिवारिक बंटवारे के अनुरूप सभी का 1/4 हिस्सा निहित देना तय हुआ। उक्त पारिवारिक बंटवारे के अनुसार ख0नं0 387 रकबा 1.18हे0 भूमि में स्थित मकानात हेतु

नन्दबिहारी, लक्ष्मीचन्द को दी गई। नन्दबिहारी के लिए उक्त ख0नं0 387 में बने हुए मकान लक्ष्मीचंद के एवज में अतिरिक्त भूमि ख0नं0 189 रकबा 0.68हे0 भूमि अधिक 1 बीघा (0.16है0) दी गई। जिस पर सभी परिवार के सदस्योगणों की सहमति से उक्त बंटवारा हुआ था। उक्त मकानात् को बने हुए लगभग 35–45 वर्ष हो चुके है। उक्त मकानात् को प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता हजारी लाल बनाकर गए थे। प्रार्थी नन्दबिहारी उक्त बंटवारे में आयी कृषि भूमि ख0नं0 387 रकबा 1.18हे0, का मौके अनुसार फायदा उठाते हुए न्यायालय को गुमराह कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ले रखी है। जबकि प्रार्थी नन्दबिहारी द्वारा अपने हिस्से में आयी भूमि पर मकान बना रखा है। जबरन प्रार्थी अप्रार्थी के हिस्से में आ रही मकान की भूमि पर रास्ता बनाने जबरन अमादा है। इस हेतु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज फरमाया जावे। उक्त तथ्य की परीक्षण के लिए हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब कि जाकर तथ्यों का परीक्षण किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश की कृपा करे।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र व जवाब के बिन्दुओं को दोहराया। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि ख0नं0 387 रकबा 1.18हे0, ख0नं0 405/558 रकबा 0.60है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.78है0 का रिकॉर्डेड खातेदार मुताबिख राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा पारिवारिक विभाजन का कथन किया गया है परन्तु कोई प्रमाण इसके संबंध में प्रस्तुत नहीं किया है। जिसमें पंचनामा था कोई अन्य दस्तावेज जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य कोई समझौता होना प्रदर्शित हो। एक अभिलिखित खातेदार को उसके कब्जे काश्त व शांतिपूर्वक उपयोग में बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए। मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है। यदि निर्माण कार्य या अन्य कृत्य से विवादित भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से यदि अप्रार्थी को पाबंद नहीं किया जाता है और अप्रार्थी प्रार्थी के भूमि पर अतिक्रमण या निर्माण से कब्जे की स्थिति में परिवर्तन करते है तो प्रार्थी को अपने साम्पत्तिक अधिकारों में व्यवधान व असुविधा का सामना करना पडेगा। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी को कोई असुविधा कारित होने की संभावना नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। न्यायालय द्वारा जारी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.01.2020 को मूलवाद के अन्तिम निस्तारण तक सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा